

संदर्भ सं० 337/सा० 347/2024

दिनांक-21/6/24

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001 .

Sub: Regarding submission of Action Taken/Compliance Report on behalf of District Magistrate, Gorakhpur in compliance to the order dated 11.10.2023 of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of Original Application No. 613/2023, Om Prakash Gupta Versus Gorakhpur Development Authority & Ors.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in above matters vide its order dated 11.10.2023. The action taken report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,

(Krishna Karunesh)
District Magistrate,
Gorakhpur

Copy to: Following for information and further necessary action.

1. Member Secretary, U.P.P.C.B., Lucknow.
2. Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.
3. CEO-6, U.P.P.C.B., Lucknow.
4. CLO, U.P.P.C.B., Lucknow.


District Magistrate
Gorakhpur

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 नं0- 613/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, जनपद- गोरखपुर के पत्र दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा ग्राम- हासुपुर, तहसील- सदर, जनपद-गोरखपुर में प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।


माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 नं0- 613/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के अनुपालन हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर सदस्य नामित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) जिलाधिकारी महोदय जनपद- गोरखपुर द्वारा उल्लिखित प्रकरण के जांच हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर) को नामित किया गया है तथा सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पत्र दिनांक 04.01.2023 के माध्यम से प्राधिकरण की ओर से श्री किशन सिंह, प्रभारी मुख्य अभियन्ता को निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प की जांच हेतु नामित किया गया है। उल्लिखित गठित संयुक्त समिति द्वारा उल्लिखित स्थल का निरीक्षण दिनांक 13.12.2023 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-


1. उल्लिखित प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम- हासुपुर, तहसील- सदर, जनपद-गोरखपुर के 26.738103⁰ अक्षांश एवं 83.352078⁰ देशान्तर पर स्थापित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उल्लिखित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापित कर लिया गया है, परन्तु संचालन का कार्य नहीं किया जा रहा है।
2. उल्लिखित स्थल के उत्तर दिशा में लगभग 104 मीटर की दूरी पर मेसर्स शैलेश किराना स्टोर तथा अन्य आवासीय मकान स्थित है।
3. उल्लिखित स्थल के दक्षिण दिशा में सटे हुए मेसर्स शारदा ट्रेडिंग कम्पनी एवं अन्य आवासीय मकान स्थित है।
4. उल्लिखित स्थल के पूरब दिशा में सटे बसंतपुर - हासुपुर मार्ग तत्पश्चात आवासीय एवं व्यवसायिक भवन स्थित है।
5. उल्लिखित स्थल के पश्चिम दिशा में सटे हुए कृषि योग्य भूमि तथा लगभग 466 मीटर की दूरी पर राप्ती नदी स्थित है।
6. उल्लिखित स्थल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के निर्धारित गाईडलाइन दिनांक 07.01.2020 के अनुरूप है।
7. उल्लिखित स्थल द्वारा उल्लिखित गाटा का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया गया है, परन्तु भू-प्रयोग प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।
8. उल्लिखित स्थल पर पम्प डिस्पेन्सर स्थल से 50 मीटर की दूरी पर सी0पी0सी0बी0 द्वारा निर्धारित गाईडलाइन के अनुसार अस्पताल, स्कूल, आवासीय क्षेत्र एवं हाईटेनशन इलेक्ट्रिक लाईन स्थित नहीं है।
9. गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के कार्यालय पत्रसंख्या-25/नियो0अनु0/गो0वि0प्र0/2021-22 दिनांक 10-02-2022 के द्वारा स्थलीय नियम के अनुसार राप्ती नदी के पूरब स्थित हार्बट बन्धे के पश्चिम स्थित है, जो महायोजना 2021 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित है। उल्लिखित पेट्रोल पम्प का स्थल डूब क्षेत्र के अन्तर्गत है। डूब क्षेत्र में निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं है, जिसके दृष्टिगत स्थल पर किए गए निर्माण कार्य को जी0डी0ए0 द्वारा दिनांक 16-03-2024 से सील कर दिया गया है।


अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि उल्लिखित प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का स्थल डूब क्षेत्र में होने के दृष्टिगत स्थापना हेतु/निर्माण कार्य हेतु अनुमन्य नहीं है। उपरोक्त संयुक्त आख्या इकाई के प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


10/11/24
क्षेत्रीय अधिकारी


उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गोरखपुर
Executive Engineer
Wastage Div., Gorakhpur


10/11/24
प्रभारी मुख्य अभियन्ता
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर



10/11/24
अपर जिलाधिकारी (नगर)
गोरखपुर




Latitude: 26.730667
 Longitude: 83.592368
 Elevation: 37.9 m
 Accuracy: 46.4 m
 Time: 13-12-2023 12:35
 Note: Petrol pump C-4



Latitude: 26.737435
 Longitude: 83.592147
 Elevation: 167.26 m
 Accuracy: 45.1 m
 Time: 13-12-2023 12:36
 Note: Petrol pump C-4



Latitude: 26.730458
 Longitude: 83.592169
 Elevation: 102.96 m
 Accuracy: 47.4 m
 Time: 13-12-2023 12:37
 Note: Petrol pump C-4



Latitude: 26.733451
 Longitude: 83.592186
 Elevation: 102.26 m
 Accuracy: 48.8 m
 Time: 13-12-2023 12:37
 Note: Petrol pump C-4

कार्यालय आदेश

एतद्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 613/2023 ओम प्रकाश गुप्ता बनाम गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण हेतु निम्नानुसार अन्तर विभागीय अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाती है:-

1. अंजनी कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (नगर), गोरखपुर।
2. अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।
3. अधिशासी अभिन्ता, सिचाई विभाग, गोरखपुर।
4. किशन सिंह, प्रभारी मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

उपरोक्त गठित समिति प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के अनुपालन में संयुक्त रूप से जाँच कर निर्धारित अवधि में अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी, जिससे ससमय अनुपालन की स्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराया जा सके।

(कृष्णा करुणेश)

जिलाधिकारी, गोरखपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, गोरखपुर

पत्रांक 748/क्षे0अ0उ0प्र0प्र0नि0बो0गो0/एन0जी0टी0-2023

दिनांक 10-11-2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
3. अंजनी कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (नगर), गोरखपुर।
4. अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।
5. किशन सिंह, प्रभारी मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

11/10/23
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।
Duro